FORM III
फर्द अहकाम
(नियम – 26)

अजलास अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

मोहन लाल बनाम भूमिधारी वगै०

मुकदमा प्रार्थना पत्र 128 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट मु. नं. 1507 सन् 2021 जीसीएमएस नं.

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
रिपोर्ट सरिस्ता होकर प्रार्थना पत्र पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 21.12.2021 को पेश हो। (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	
21/12/21 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 8/3/22 को पेश हो।	
8/3/2022 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से श्री जितेन्द्र अग्रवाल Advt ने उपस्थित होकर अप्रार्थी वकालतनामा पेश करने हेतु अवसर चाहा। पी०सा० दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 11/4/2022 को पेश हो।	आयन्दा वकालतनामा पेश करने बाबत्
11/4 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23/5/22 को पेश हो।	
23/5/22 पत्रावली पेश हुयी। श्री सुशील अग्रवाल व श्री जितेन्द्र अग्रवाल का वकालतनामा पेश हुआ। अप्रार्थी बावजूद तामील अनु० रहने से अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वकील प्रार्थी के निवेदन पर बहस एकपक्षीय सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 30.05.22 को पेश हो।	

Scanned with OKEN Scanner

30/5/2022

पत्रावली आज वास्ते निर्णय / आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में बहस एकपक्षीय पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये जावे। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थी एकल खातेदार दर्ज है। अतः पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम कस्बा नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना स्थित भूमि खसरा नंबर 2840 / 1588 रकबा 0.24 हैक्टे० की प्रार्थी एवं पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान 24.06.2020 उक्त खसरा नम्बर की चतुर्दिक सीमाओं पर पत्थरगढ़ी की जावें। दौरान पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नही की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना
(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

Scanned with OKEN Scanner